(भारत का राजपत्र , असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 203 **नई दिल्ली** **04 नवबंर, 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्‌वारा कोलकत्ता पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैद्यता को संलग्न आदेशानुसार, 30 सितंबर, 2009 के परे विस्तारित करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /45/2005- केओपीटी

कोलकत्ता पत्तन न्यास (केओपीटी) --- आवेदक

आदेश

(अक्तूबर 2009 के 23 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव को निपटाते हुए 29 दिसंबर 2006 को एक आदेश पारित किया था । इस आदेश को 6 फरवरी 2007 को भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-III, खण्ड-4) में राजपत्र संख्या 34 के द्वारा अधिसूचित किया गया था । 31 मार्च 2009 तक की वैद्यता अवधि वाले आदेश की अधिसूचना के 30 दिन बीत जाने के बाद, संशोधित दरमान 08 मार्च, 2007 को प्रभाव में आया है ।

2. केओपीटी के अनुरोध पर, इस प्राधिकरण ने दिनांक 27 मार्च, 2009 के आदेश द्वारा, प्रचलित दरमान की वैद्यता को, 01 अप्रैल, 2009 के बाद वाली अवधि में स्वीकार लागत और अनुमय प्रतिलाभ से अधिक प्रोद्‌भूत अधिशेष को अगले चक्र (दौर) के लिए तय किए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित किए जाने की शर्त पर विस्तार प्रदान किया था । पत्तन को सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव 30 जून, 2009 तक प्रस्तुत करेन का निदेश दिया गया था ।

3. दिनांक 02 सितंबर, 2009 के अपने पत्र के द्वारा पत्तन ने इस प्राधिकरण से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर, 2009 तक का समय प्रदान करने और इसके प्रचलित दरमान की वैद्यता को, अध्यक्ष के पद के नियमित पदधारी की अनुपस्थिति और केओपीटी के कोलकाता और हल्दिया स्थित भूमि और भवनों के किराये की अनुसूचि के संशोधन हेतु प्रस्ताओं से, जो प्रस्तुत किए जाने की अंतिम अवस्था में है, राजस्व प्रभाव को हासिल करने की आवश्यकता के आधार पर, यथोचित रूप से विस्तारित करने का अनुरोध किया है ।

4. पत्तन की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए यह प्राधिकरण केओपीटी के अनुरोध को स्वीकार करता है और उसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल करने हेतू 31 दिसंबर, 2009 तक का समय प्रदान करता है । परिणामस्वरूप, केओपीटी के प्रचलित दरमान की वैद्यता 31 मार्च, 2010 तक विस्तारित की जाती है । यह शर्त है कि 01 अप्रैल, 2009 के बाद की अवधि स्वीकार्य (ग्राह्य) लागत तथा अनुपय प्रतिलाभ से अधिक, केओपीटी को प्रोद्‌भूत अधिशेष अगले चक्र (दौर) के लिए तय किये जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित किया जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी ।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा